राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 04(पॉलिसी) काशि/अनु./2010/939 दिनांक – 5.4.13

परिपत्र

इस विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में नवीन महाविद्यालय खोलने अथवा अभिवृद्धि हेतु अस्थाई/ स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत् नीति जारी की जा चुकी है। उक्त नीति में नवीन परिस्थितियों के मद्देनजर आंशिक संशोधन इस प्रकार से किये जाते हैं :–

1. ऐसे निजी महाविद्यालय जो नियमित रूप से चलते पाये जाते हैं व अन्य समस्त शर्तें पूरी करते हैं लेकिन उनके द्वारा नियुक्त स्टाफ का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से नहीं हो पाया है तो वे इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत कर **स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेंगे कि उन्होंने स्टाफ के अनुमोदन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आवेदन कर दिया है ।**

2. भूमि रूपान्तरण जो कि स्थायी एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए निजी महाविद्यालयों द्वारा करवाया जाना आवश्यक है के लिए **संस्था 10/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर सम्बन्धित स्थानीय निकाय से भूमि रूपान्तरित करवा लेगी के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।** संस्था को जब स्थायी एन.ओ.सी. जारी की जायेगी उसमें यह अंकन किया जायेगा कि **अगर संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण एवं भवन मानचित्र सक्षम स्थानीय निकाय से अनुमोदित नहीं करवाया गया तो स्थायी एन.ओ.सी. कभी भी रद्द की जा सकती है ।**

उक्त संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 04(पॉलिसी) काशि/अनु./2010/939 दिनांक – 5.4.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार

(प्यारेलाल)
संयुक्त निदेशक (अनुदान)